2025/53

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2025 (राजसमन्द डिकी)

प्यारेलाल पिता नंदलाल जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भागवंती पुत्री नंदलाल पत्नी शंकरलाल जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, हाल निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती शांति पुत्री नंदलाल पत्नी मोहनलाल जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, हाल निवासी हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती टमुडी पुत्री नंदलाल पत्नी चुन्नीलाल जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, हाल निवासी गुर्जरपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती सीता पुत्री नंदलाल पत्नी लक्ष्मीनारायण जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, हाल निवासी हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती तीजा पुत्री नंदलाल पत्नी दुर्गेश जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, हाल निवासी नई हवेली नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती अणछईया उर्फ अनसुईया पुत्री नंदलाल पत्नी जगदीश जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, हाल हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 9, उदयपुर (राज.)
7. सुश्री संतोष पुत्री नंदलाल जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. मु. प्रेमबाई पत्नी नंदलाल जी, जाति नाई, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 225 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दि० 19–03–2012 प्रकरण संख्या 67/09

---/---

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:58 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री भारती पंवार अभिभाषक अपीलान्ट

----::----

निर्णय **<u>दिनांक 25–07–2025</u>**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 ने एक वाद विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा में परिशिष्ट ''क'' के खाता संख्या 200 में वर्णित आराजी नंबर 696, 697, 701, 702, 703, 712 कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट ''ख'' के खाता संख्या 201 में वर्णित आराजी नंबर 1650 से 1654 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 5/9 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट ''ग'' के खाता संख्या 202 में वर्णित आराजी नंबर 336 से 338 कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा मोड़ा पिता प्रताप का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

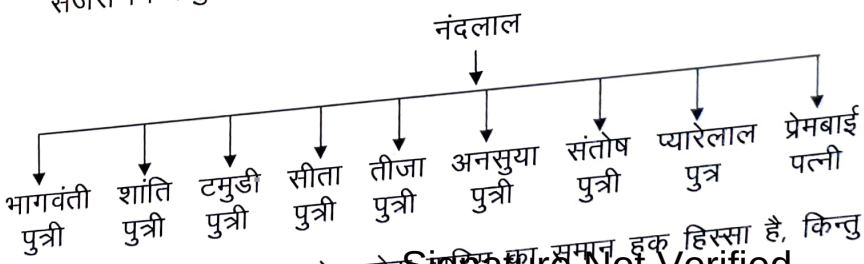

खातेदार बंशीलाल का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 5 हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सजरा निम्नानुसार है :–

इस प्रकार नंदलाल के प्रत्येक [illegible] का समान हक हिस्सा है, किन्तु नन्दलाल की मृत्यु पश्चात गलत नामान्तरकरण से भ[illegible] संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी। अन्य खातेदारान के वारिस प्रति[illegible] संख्या 3 से 16 हैं, जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। अतः वादी[illegible] स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्से में वादीगण [illegible] बराबर हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:58 IST
Reason: SelfAttested

का खातेदार घोषित किया जाकर मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19–03–2012 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील संख्या 40/2012 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25–05–2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी।

3. प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने पर अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे पुनः रेस्टोर किये जाने का निवेदन किया, जो न्यायालय हाजा द्वारा 4/2024 दर्ज किया जाकर दिनांक 04–03–2025 को स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश दिया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2012 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04–08–2012 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि [illegible] का स्वर्गवास दिनांक 08–12–1987 को हो चुका था, जिसके उत्तराधिकार उसकी [illegible] प्रेम[illegible] व पुत्र अपीलान्ट जाइन्दा पुत्र है। दोनों का नाम रेकार्ड [illegible] वर्ष 1988 में दर्ज हो चुका है, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को भली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:58 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भांति थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 विवाहित होकर अपनी ससुराल में निवास करती थी एवं उक्त इन्द्राज पर कभी कोई ऐतराज नहीं किया। वादीगण की सहमति से ही नन्दलाल के बजाय भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के नाम दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा वर्ष 2009 में वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि वर्ष 1988 में भी भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हो चुकी थी। वादीगण द्वारा 21 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद वाद प्रस्तुत किया है, जो अवधि बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

7. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 में विवादित आराजियात नन्दलाल के खातेदारी में दर्ज है तथा विरासत से नामान्तरकरण उसके पुत्र अपीलान्ट प्यारेलाल एवं पत्नी मु. प्रेम बाई रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के नाम स्वीकृत हुआ है तथा इसी के आधार पर जमाबन्दी संख्या 2063 से 2066 प्रदर्श 1 में उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के नाम दर्ज हुई, जबकि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट 1 से 7 नन्दलाल की पुत्रियां है, जिनका जन्म से हक अधिकार निहित है। अपीलान्ट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 21 वर्षो तक चुप रही तथा वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है, किन्तु अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि घोषणा का दावा कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है, उसकी कोई मयाद नहीं होती है। दावा वर्ष 2009 में प्रस्तुत हुआ है तथा दिनांक 20-07-2009 को स्वयं अपीलान्ट प्यारेलाल की उपस्थिति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं, किन्तु अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05-03-2012 को नो इन्सट्रक्शन प्लीड [illegible] कि उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया [illegible] समाचार [illegible] के माध्यम से भी प्रकाशन करवाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:58 IST
Reason: SelfAttested

को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पुत्रियों का पुत्र के समान ही हक अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 का घोषणा बाबत वाद स्वीकार कर उन्हें अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 के साथ बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2012 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

25.7.25
(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Ratho
Date: 2025.08.20 14:40:58 IS
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........

व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

प्यारेलाल पिता नंदलाल जी नाई, निवासी देलवाड़ा, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

बनाम

श्रीमती भागवंती पुत्री नंदलाल पत्नी शंकरलाल नाई, नि0 देलवाड़ा हाल कोठारिया, तह0 नाथद्वारा व अन्य

अपील नं.......**05/2025**......व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी** ..
........**नाथद्वारा**............. मुकाम..........मुवर्खे...............**19**..............माह......**03**.................**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह......**07**.....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान**
व हाजरी........**श्री भारती पंवार**.......मिनजानिब अपीलान्ट व.......**अनुपस्थित**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19—03—2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)....रूपये...... X........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**25**......माह.......**07**..........**2025**........
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा ..			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन [illegible] डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:58 IST
Reason: SelfAttested